भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

क्रमांक :- लेखा/म.वि.प्रा./2026-27/ दिनांक :-

अल्पकालीन ऑनलाईन निविदा सूचना सं. 49/2026-27

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भरतपुर विकास प्राधिकरण, में उपयुक्त श्रेणी एवं विभिन्न विभागों में एए श्रेणी/ए और (योग्यतानुसार) में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया से कुल 01 कार्य हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

उक्त कार्य का विस्तृत विवरण, निविदा शर्ते, अनुमानित लागत राशि, निविदा बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट **www.urban.rajasthan.gov.in/bdabharatpur** एवं **http://sppp.raj.nic.in portal** पर देखा जा सकता है। निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन **www.urban.rajasthan.gov.in/bdabharatpur** एवं **http://sppp.raj.nic.in portal** का अवलोकन करें।

UBN विवरण :– WAQ2627WLOB00123

अधिशाषी अभियंता
भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

राज.संवाद/सी/26/12261

प्रिसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

Precision

CIN: L32104DL1979PLC009590

पंजीकृत कार्यालयः डी–1081 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली 110025

फोनः 120 2551556/7 फैक्सः 120 2524337

ईमेलः cs@pel-india.in, वेबसाइटः www.pel-india.in

भौतिक शेयरों के ट्रांसफर और डिमैटीलीकरण के लिए विशेष विंडो के संबंध में सूचना

हमारे पिछले समाचार पत्र विज्ञापन के संदर्भ में, जो 28 फरवरी, 2026, 29 अप्रैल, 2026, 27 जून, 2026 और 25 अगस्त, 2026 को प्रकाशित हुआ था, सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") ने अपनी परिपत्र संख्या HO/38/13/ 11(2)2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 ("सेबी परिपत्र") के माध्यम से, एक विशेष विंडो खोली है जो 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए है, ताकि भौतिक शेयरों के ट्रांसफर और डिमैटेरियलाइजेशन अनुरोधों की सुविधा प्रदान की जा सके, जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले खरीदे/बिक्री किए गए थे, जिसमें ट्रांसफर अनुरोध भी शामिल हैं जिन्हें दस्तावेज/प्रक्रिया में कमी के कारण अस्वीकृत/वापस किए गए/अटेंड नहीं किए गए।

इस अवधि के दौरान, ऐसे प्रतिभूतियों को केवल डिमैट मोड में ही स्थानांतरणकर्ता को अनिवार्य रूप से क्रेडिट किया जाएगा और यह स्थानांतरण के पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक–इन में रहेंगे। ऐसी शेयरों को उक्त लॉक–इन अवधि के दौरान स्थानांतरित/लियन–मार्क्ड/गिरवी नहीं रखा जाएगा।

योग्य निवेशक जो इस विशेष विंडो सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सेबी सर्कुलर के अनुसार आवश्यक दस्तावेज पूरी तरह से भरकर, कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') यानी मेसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी–153/ए, प्रथम फ्लोर, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज– 1, नई दिल्ली – 110020, 4 फरवरी, 2027 से पहले जमा करें।

अधिक विवरण के लिए, निवेशक कंपनी से संपर्क कर सकते हैं cs@pel-india.in पर या हमारे आरटीए से ई–मेलः admin@skylinerta.com, टेलीफोनः +91–11–26812682, वेबसाइटः www.skylinerta.com

केवाईसी अपडेट करें और भौतिक शेयरों को डिमैट मोड में परिवर्तित करें

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले निवेशकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमेटलाइज करें/अपना केवाईसी कंपनी के आरटीए के साथ पूरा करें।

प्रेसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
पुनित ए. बजाज
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 22 अक्टूबर, 2026
सदस्यता संख्याः FCS 13366

भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

क्रमांक :- लेखा/म.वि.प्रा./2026-27/15017 - 28 दिनांक :- 17/10/2026

अल्पकालीन ऑनलाईन निविदा सूचना सं. 52/2026-27

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भरतपुर विकास प्राधिकरण, में उपयुक्त श्रेणी एवं विभिन्न विभागों में एए श्रेणी/ए और (योग्यतानुसार) में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया से कुल 01 कार्य हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

उक्त कार्य का विस्तृत विवरण, निविदा शर्ते, अनुमानित लागत राशि, निविदा बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट **www.urban.rajasthan.gov.in/bdabharatpur** एवं **http://sppp.raj.nic.in portal** पर देखा जा सकता है। निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन **www.urban.rajasthan.gov.in/bdabharatpur** एवं **http://sppp.raj.nic.in portal** का अवलोकन करें।

UBN विवरण :– WAQ2627WLOB00125

अधिशाषी अभियंता
भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

राज.संवाद/सी/26/12263

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

शाखा- एचएनआईसी, पार्क रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून

लॉकर तोड़ने के लिए सूचना

1. यह नोटिस सभी सम्बंधितों और आम जनता के लिए है, कि नीचे उल्लिखित लॉकर पर अर्धवार्षिक/वार्षिक किराया भुगतान बकाया है और किराएदार/लॉकरधारक हमारे कई अनुस्मारक के बावजूद राशि को जमा नहीं करवा रहे है।

2. इस संबंध में, लॉकरों को किराए पर लेते समय किये गये एग्रीमेंट के अनुसार बैंक के पास सुरक्षित नियमों के अन्तर्गत बैंक लॉकर तोड़ सकता है यदि – अ) लॉकर धारक को समाप्ति नोटिस देने के उपरान्त यदि लॉकर धारक लॉकर को सरेन्डर एवं खाली नहीं करता है।

ब) यदि लॉकर का किराया तीन लगतार वर्षों तक बकाया रहे।

स) यदि लॉकर धारक ने खाते को सात या इससे अधिक वर्षों तक अपडेट नहीं किया हो (चाहे किराया जमा हो या न हो) एवं बैंक द्वारा गुमशुदा पाया गया हो।

3. इसलिए, यह नोटिस जारी करते है कि यदि पूर्वोक्त किराए के बकाया का भुगतान प्रकाशन की तिथि से एक महीने के भीतर नहीं किया जाता है, तो लॉकर को तोड़ दिया जायेगा और सामग्री को किराए के समझौते के अनुसार निपटाया जाएगा और बैंक इस संदर्भ में कोई नोटिस या सूचना अब नहीं भेजेगा और इस सम्बन्ध में किए गए सभी किराए और लागतों के लिए हायरिंग एग्रीमेंट के तहत किरायेदार उत्तरदायी होगा।

लीज होल्डर/ लॉकर धारक	पता	लॉकर नं०	देय तिथि	देय राशि (रु०)	सूचना भेजने की अन्तिम तिथि
स्वर्ण सिंह/ कृष्णावती एवं प्रमजीत सिंह	22,केशव रोड,देहरादून (उत्तराखंड)–248001	AA00338	18.08.2022	रु0 8,000.00 + जुर्माना + GST रहित, कुल–रु0 16351.26	09.10.2026

यह नोटिस बैंक को कोई कानूनी सहारा लेने जैसा भी मामला हो और बिना किसी पूर्वाग्रह के विवाद/मुकदमे में बैंक के अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किया गया है।

पंजाब नैशनल बैंक, एचएनआईसी, देहरादून

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

HDB FINANCIAL SERVICES — From the trusted family of HDFC Bank

पंजीकृत कार्यालय : राधिका, द्वितीय तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009,
शाखा कार्यालय : एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ई–145, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान–302001

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ई–नीलामी बिक्री सूचना

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में निम्नहस्ताक्षरी ने कंपनी की बकाया राशि की वसूली हेतु ''जहाँ है जैसी है'' तथा ''जो है जैसी है'' के आधार पर बेचने के अधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खातों में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी सूचना के अनुसरण में निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है।

1. ऋणधारक/कों और जमानतदार/रों के नाम एवं पते 2. कुल देय + इस तिथि से ब्याज	संपत्ति का विवरण	1. ई–नीलामी की तिथि तथा समय, 2. ईएमडी जमा की अंतिम तिथि, 3. संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य 2. संपत्ति की ईएमडी
1– सृष्टि क्रिएशन, एच1 192 सृष्टि क्रिएशन रीको परिधान पार्क जगतपुरा जयपुर, जयपुर–302017 राजस्थान। एवं यह भी– फ्लैट नंबर 110, 5वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 222, स्कीम दादू दयाल नगर, सीडी ब्लॉक, ग्राम कल्याण नगर, सांगानेर, जयपुर–302017। 2– गिरधारी सिंह, प्लॉट नंबर 31, राम कुटीर, सांगानेर, नरसिंहपुरा रीक्षा जगतपुरा, जयपुर–302017 राजस्थान। 3– योगेंद्र सिंह गुर्जर, प्लॉट नंबर 31, राम कुटीर, सांगानेर, नरसिंहपुरा रीक्षा जगतपुरा, जयपुर–302017 राजस्थान। 4– कविता गुर्जर, प्लॉट नंबर 31, राम कुटीर, सांगानेर, नरसिंहपुरा रीक्षा जगतपुरा, जयपुर–302017 राजस्थान। ऋण खाता संख्या : 27593615 रु. 50,01,498.17/– (पचास लाख एक हजार चार सौ अट्ठानवे रुपये तथा सत्रह पैसे मात्र) 11.08.2025 की तिथि के अनुसार साथ में ऋण समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार वास्तविक वसूली तक आगे का ब्याज, अन्य आनुषंगिक लागत एवं व्यय।	प्लॉट नंबर 222, स्कीम दादू दयाल नगर सी, डी ब्लॉक, ग्राम कल्याण नगर, सांगानेर, जयपुर (राजस्थान) पर स्थित 5वीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 110 का वह सम्पूर्ण भाग तथा अंश, जिसका क्षेत्रफल 1600.00 वर्ग फीट है। संपत्ति की सीमाएँ :– उत्तर : प्लॉट नंबर 223, दक्षिण : प्लॉट नंबर 221, पूर्व : सड़क, पश्चिम : प्लॉट नंबर 225 भौतिक कब्जा की तिथि :– 14–03–2026	1) ई–नीलामी की तिथि : 12–11–2026 प्रातः 10:30 से 11:30 बजे (5 मिनट के भावी विस्तार के साथ) 2) केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 11–11–2026 को सायंकाल 5:00 बजे तक 3) निरीक्षण की तिथि : 04–11–2026 अप. 01:00 से अप. 02:00 बजे (भारतीय मानक समय) के बीच	आरक्षित मूल्य (रु. में) : रु. 41,90,330/– (रुपये इकतालीस लाख नब्बे हजार तीन सौ तीस मात्र) ईएमडी राशि (रु. में) : रु. 4,19,033/– (रुपये चार लाख उन्नीस हजार तैंतीस मात्र)
1. विजय सिंह, 34, राजेंद्र नगर विस्तार, पाली, पाली एचओ–306401 राजस्थान। एवं यह भी :– प्लॉट नंबर 241, सुभाष नगर बी, पाली, जिला पाली, राजस्थान। एवं यह भी :– प्लॉट नंबर 34 का भाग, चक नंबर 2, खसरा नंबर 363, जगदीश विहार, पाली, पाली एचओ–306401, 2. आशा पत्नी विजय, 34, राजेंद्र नगर विस्तार, पाली, पाली एचओ–306401 राजस्थान, 3. शांति पत्नी सुंदरलाल, 34, राजेंद्र नगर विस्तार, पाली, पाली एचओ–306401 राजस्थान, 4. मैसर्स माँ शारदा साड़ी फॉल सेंटर, 34, राजेंद्र नगर विस्तार, पाली, पाली एचओ–306401 राजस्थान, 5. विजय सिंह, राजेंद्र नगर विस्तार, पाली, पाली एचओ–306401 राजस्थान। ऋण खाता संख्या : 25851971 एवं 32662310 रु. 37,19,122/– (सैंतीस लाख उन्नीस हजार एक सौ बाईस रुपये मात्र) 10.09.2024 की तिथि के अनुसार तथा वास्तविक वसूली तक भविष्य का अनुबंधात्मक ब्याज साथ में आनुषंगिक व्यय, लागत एवं शुल्क आदि।	प्रतिभूति/संपत्ति । : विजय सिंह के स्वामित्व वाले उप–पंजीयक पाली के पास पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 30–06–2017 के द्वारा प्लॉट नंबर 34 का भाग, चक नंबर 2, खसरा नंबर 363, जगदीश विहार, पाली, जिला पाली, राजस्थान का वह सम्पूर्ण भाग तथा अंश, कुल क्षेत्रफल 820 वर्ग फीट। सीमाएँ :– उत्तर : अन्य प्लॉट, दक्षिण : प्लॉट नंबर 33 तथा 34 बी का भाग, पूर्व : अन्य प्लॉट, पश्चिम : सड़क। प्रतिभूति/संपत्ति ।। : श्रीमती आशा पत्नी श्री विजय सिंह के स्वामित्व वाले उप–पंजीयक पाली के पास पंजीकृत उपहार विलेख दस्तावेज़ संख्या 202203475103556 दिनांक 11–04–2017 के द्वारा प्लॉट नंबर 241, सुभाष नगर बी, पाली, जिला पाली, राजस्थान का वह सम्पूर्ण भाग तथा अंश, कुल क्षेत्रफल 1200 वर्ग फीट। सीमाएँ :– पूर्व : गली तथा हरचंद का मकान, पश्चिम : अन्य भूमि, उत्तर : अंबा लाल का मकान, दक्षिण : उम्मेद मिल्स सोसाइटीज हाउस । भौतिक कब्जा की तिथि : 16–12–2025	1) ई–नीलामी की तिथि : 12–11–2026 प्रातः 10:30 से अप. 12:30 बजे (5 मिनट के भावी विस्तार के साथ) 2) केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 10–11–2026 को सायंकाल 5:00 बजे तक 3) निरीक्षण की तिथि : 06–11–2026 दोप. 12:00 से अप. 01:00 बजे (भारतीय मानक समय) के बीच	प्रतिभूति/संपत्ति । हेतु :– आरक्षित मूल्य (रु. में) : रु. 13,37,319/– (तेरह लाख सैंतीस हजार तीन सौ उन्नीस रुपये मात्र) ईएमडी राशि (रु. में) : रु. 1,33,732/– (एक लाख सैंतीस हजार सात सौ बत्तीस रुपये मात्र) प्रतिभूति/संपत्ति ।। हेतु :– आरक्षित मूल्य (रु. में) : रु. 16,23,845/– (सोलह लाख तेईस हजार आठ सौ पैंतालीस रुपये मात्र) ईएमडी राशि (रु. में) : रु. 1,62,385/– (एक लाख बासठ हजार तीन सौ पचासी रुपये मात्र)

इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे शाखा संपत्तियों का दौरा करें तथा नीलामी हेतु रखी गई संपत्तियों के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं प्रभारों, भार–ग्रहणों (प्रभारों) की जानकारी प्राप्त करें। क्रेता स्वयं पूछताछ करेगा तथा अतिरिक्त प्रभारों, भार–ग्रहणों तथा किसी भी तृतीय पक्ष के हितों का पता लगाएगा तथा इस संबंध में सभी पहलुओं से स्वयं को संतुष्ट करेगा। संपत्ति से जुड़े सभी वैधानिक देय जैसे संपत्ति कर, बिजली के देय तथा कोई अन्य देय, यदि कोई हो, का पता सफल बोलीदाता(ओं)/संभावित क्रेता(ओं) द्वारा लगाया जाएगा तथा भुगतान किया जाएगा। बोलीदाता(ओं)/संभावित क्रेता(ओं) से उनके स्वयं के हित में अनुरोध किया जाता है कि वे बोलियां प्रस्तुत करने से पूर्व उपरोक्त तथा उपरोक्त उल्लिखित संपत्ति/संपत्तियों से संबंधित अन्य प्रासंगिक विवरणों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लें। **ऑनलाइन निविदा/नीलामी के नियम तथा शर्तें :–** (1) नीलामी बिक्री ऊपर तालिका में उल्लेखित तिथियों पर 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ वेबसाइट https://www.bankeauctions.com/ के माध्यम से ''ऑनलाइन ई–नीलामी'' बोली होगी। (2) इच्छुक बोलीदाता अपनी ईएमडी वेब पोर्टलः https://www.bankeauctions.com/ के माध्यम से लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड द्वारा जमा करेंगे (यूजर आईडी तथा पासवर्ड https://www.bankeauctions.com/ पर नाम पंजीकृत करके निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है)। ईएमडी का भुगतान ऊपर उल्लेखित खाते में एनईएफटी के माध्यम से देय होगा। वेब पोर्टल में बोलीदाता द्वारा पंजीकरण (एक बार) के पश्चात, इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को बोली दस्तावेजों के जमा करने की अंतिम तिथि तथा समय से पूर्व निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियों को वेब पोर्टल में अपलोड करना आवश्यक है, अर्थात् i) एनईएफटी/आरटीजीएस चालान या डिमांड ड्राफ्ट की प्रति, ii) पैन कार्ड की प्रति; पपप) पहचान प्रमाण/पता प्रमाण (केवाईसी) अर्थात् मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट आदि की स्व–सत्यापित प्रति; जिसके बिना बोली को अस्वीकृत किया जा सकता है। विधिवत भरने तथा हस्ताक्षर करने के पश्चात अनुबंध–II एवं III (वेब पोर्टलः https://www.bankeauctions.com/ से डाउनलोड किया जा सकता है) की स्कैन की गई प्रति अपलोड करना भी आवश्यक है। इच्छुक बोलीदाता जिन्हें लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली दस्तावेज जमा करने, ऑनलाइन अंतर–से बोली पर प्रशिक्षण/प्रदर्शन आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर–44, गुड़गांव–122003, हरियाणा, ई–मेल आईडी : Vinod Chauhan/delhi@c1india.com, 9813887931 से संपर्क कर सकते हैं तथा संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए प्राधिकृत अधिकारी : नवदीप चावला; मोबाइल नंबर : 8949298906, ई–मेल आईडी : lm.jaipur@hdbfs.com से सोमवार से शनिवार तक कार्य समय के दौरान संपर्क कर सकते हैं। (3) इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को बयाना जमा राशि (ईएमडी) की राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से "HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED" के पक्ष में सममूल्य पर/चंडीगढ़ में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा या **"HDBFS GENERAL COLLNS" के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा जमा करनी होगी; खाता संख्या 00210310002748; आईएफएससी कोड– HDFC0000021; एमआईसीआर कोड : MICR500240002; शाखा : लकड़ीकापुल, हैदराबाद; ऊपर उल्लेखित तिथि तथा समय पर या उससे पूर्व (कृपया ऊपर तालिका में उल्लिखित विवरण देखें)** और https://www.bankeauctions.com/ पर अपना नाम पंजीकृत करें और निःशुल्क यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई–नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर उनके पंजीकरण के पश्चात, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को ऊपर तालिका में उल्लेखित ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व या तक वेबसाइट पर निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होंगी – 1. एनईएफटी/आरटीजीएस चालान/डीडी प्रति/पे ऑर्डर की प्रति; 2. पैन कार्ड की प्रति और 3. पते के प्रमाण की प्रति (पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पंजीकृत लीव लाइसेंस समझौता) और ऊपर उल्लेखित शाखा में इसकी हार्ड कॉपी भी जमा करें। (4) बोली के साथ "HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED" के पक्ष में सममूल्य पर/जयपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा या **"HDBFS GENERAL COLLNS" के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा ईएमडी (आरक्षित मूल्य के 10% के बराबर) होना अनिवार्य है; खाता संख्या 00210310002748; आईएफएससी कोड– HDFC0000021; एमआईसीआर कोड : MICR500240002; शाखा : लकड़ीकापुल, हैदराबाद;** ऊपर उल्लेखित तिथि तथा समय पर या उससे पूर्व। (5) जो बोलियां भरी नहीं गई हैं या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुई बोलियों को अमान्य बोली माना जाएगा तथा उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। बोलीदाता द्वारा एक बार बोली प्रस्तुत करने के पश्चात, उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। यदि बोलीदाता बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी को बिना किसी अग्रिम सूचना के जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि, असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। (6) प्रस्तुत की जाने वाली बोली कीमत आरक्षित मूल्य से अधिक होगी जिसमें रु. 10,000/– (रुपये दस हजार मात्र) का वृद्धि मूल्य शामिल होगा तथा बोलीदाता रु. 10,000/– (रुपये दस हजार मात्र) के गुणकों में अपने प्रस्ताव में और सुधार करेगा। संपत्ति को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। (7) सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25% (ईएमडी सहित) तुरंत लेकिन अगले कार्य दिवस से बाद नहीं, "HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED" के पक्ष में सममूल्य पर/जयपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या **"HDBFS GENERAL COLLNS" के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा जमा करना आवश्यक है; खाता संख्या 00210310002748; आईएफएससी कोड– HDFC0000021; एमआईसीआर कोड : MICR500240002; शाखा : लकड़ीकापुल, हैदराबाद तथा बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा कंपनी द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनाके भीतर किया जाएगा।** इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा भुगतान की गई ईएमडी तथा बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ईएमडी या बिक्री मूल्य का 10%, जो भी मामला हो, जमा राशि कंपनी द्वारा जब्त कर ली जाएगी यदि सफल बोलीदाता बिक्री की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या कोई व्यतिक्रम करता है। (8) बिक्री की शर्तों के अनुपालन पर, प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में ''बिक्री प्रमाण पत्र'' जारी करेगा। स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, हस्तांतरण, टीडीएस आदि से संबंधित सभी व्यय क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। (9) कंपनी प्रस्तावित संपत्ति या किसी अन्य देय अर्थात् बकाया जल/बिजली देय, संपत्ति कर या अन्य प्रभार, यदि कोई हो, के संबंध में किसी भी प्राधिकरण से या लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत अनुमति/एनओसी प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। (10) सफल बोलीदाता किसी भी विकास प्राधिकरण के लंबित देय, यदि कोई हो/कर/उपयोगिता बिल आदि नगर निगम या किसी अन्य प्राधिकरण/एजेंसी को तथा बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण हेतु देय स्टांप शुल्क/पंजीकरण शुल्क आदि के लिए देय शुल्क सहित सभी व्यय वहन करेगा। (11) प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार या अस्वीकृत करने या बिक्री को स्थगित/रद्द करने या बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री की किसी भी शर्त को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार तथा विवेक सुरक्षित है। अचल संपत्ति उच्चतम बोलीदाता को बेची जाएगी। हालांकि, यदि आवश्यक समझा जाए तो प्राधिकृत अधिकारी के पास पारस्परिक बोली की अनुमति देने का पूर्ण विवेक सुरक्षित है। (12) अपनी सर्वोत्तम जानकारी तथा ज्ञान के अनुसार, कंपनी को कंपनी के प्रभार के अलावा बेची जाने वाली संपत्ति पर किसी अन्य भार–ग्रहण (प्रभार) की जानकारी नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी संतुष्टि हेतु संपत्ति का स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए। कंपनी पूर्वोक्त संपत्ति की उपयुक्तता/स्वामित्व के संबंध में किसी भी तरह की गारंटी या प्रतिनिधित्व नहीं करती है। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, प्राधिकृत अधिकारी को पूर्वोक्त संपत्ति के संबंध में सरकार या किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रभार, ग्रहण अधिकार, प्रभारों, संपत्ति कर या किसी अन्य देय के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। (13) सूचना में बकाया राशि पर ऋण दस्तावेजों के अनुसार यथा लागू आगे का ब्याज तथा आनुषंगिक व्यय, लागत आदि वास्तविक वसूली तक देय तथा देय योग्य होंगे। (14) ऋणधारक(ों)/बंधककर्ता(ओं) को एतद्द्वारा बिक्री के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने की सूचना दी जाती है तथा वे बिक्री के नियमों तथा शर्तों के विवरण के अनुसार ऊपर वर्णित अचल संपत्ति को खरीदने के लिए इच्छुक क्रेता/खरीदारों को ला सकते हैं। (15) ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेना नीलामी प्रक्रिया में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके अनिवार्य है जो वेबसाइट पर प्रस्ताव/निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियां जमा करने तथा ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पूर्व नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों तथा शर्तों के लिए वेबसाइट https://www.bankeauctions.com/ का अवलोकन करें। ऑनलाइन बोली ऊपर उल्लेखित संगठन की वेबसाइट पर होगी, तथा निविदा दस्तावेज में निहित नियमों तथा शर्तों के अधीन होगी। नीलामी के लिए निविदा दस्तावेज तथा विस्तृत नियम तथा शर्तें वेबसाइट https://www.bankeauctions.com/ से डाउनलोड की जा सकती हैं या इसे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की संबंधित शाखा कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाइन जमा किए गए संलग्नक (यूटीआर नंबर का उल्लेख करते हुए) के साथ बोली फॉर्म की एक प्रति श्री नवदीप चावला को सौंप दी जाएगी; मोबाइल नंबर : 8949298906; एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, पता–, ई–145, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी–स्कीम, जयपुर राजस्थान 302001 पर ऊपर उल्लिखित तिथि तथा समय पर या उससे पूर्व। (कृपया ऊपर तालिका में उल्लिखित विवरण देखें)। (16) संपत्ति ''जहाँ है जैसा है'' तथा ''जो है जैसा है'' की स्थिति में बेची जाएगी तथा इच्छुक बोलीदाता को कंपनी के प्रभारों के अलावा किसी भी प्राधिकरण की संपत्ति पर भार–ग्रहण, प्रभार तथा वैधानिक बकाया के संबंध में विचारशील पूछताछ करनी चाहिए तथा अपनी बोली जमा करने से पूर्व संपत्ति के शीर्षक, सीमा, गुणवत्ता तथा मात्रा के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए। बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति, संपत्ति पर प्रभार तथा भार–ग्रहण या किसी अन्य मामले आदि के संबंध में ऑनलाइन बोली जमा करने के पश्चात तथा उसके बाद किसी भी चरण में किसी भी प्रकृति का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। कंपनी किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होगी जिसमें क्षति या बेदखली की कार्यवाही आदि शामिल हैं। इच्छुक बोलीदाता इस संबंध में किरायेदारों के साथ–साथ कंपनी को भी क्षतिपूर्ति करेगा। क्रेता केवल कानून के अनुसार किरायेदार की बेदखली/किरायेदार के निपटारे के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा, कंपनी क्रेवत एम्प्टर (क्रेता सावधान रहे) के सिद्धांत को लागू करती है। (17) यह प्रकाशन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 6(2), 8(6) तथा नियम 9 के अनुसरण में उपरोक्त ऋण खाते के ऋणधारक / बंधककर्ता / गारंटरों को दायित्व का पूरी तरह से निर्वहन करने तथा इस सूचना की तिथि से '15' (पंद्रह) दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज तथा व्यय के साथ ऊपर उल्लेखित देय राशि का भुगतान करने के लिए '15' (पंद्रह) दिनों की सूचना भी है, जिसमें विफल रहने पर प्रतिभूत परिसंपत्ति को ऊपर उल्लेखित नियमों तथा शर्तों के अनुसार बेच दिया जाएगा। अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में बिक्री सूचना के प्रकाशन के बीच कोई विसंगति होने की स्थिति में, अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय भाषा के समाचार पत्र से ऊपर माना जाएगा तथा इसे अंतिम प्रति माना जाएगा, इस प्रकार अस्पष्टता को दूर किया जाएगा। यदि ऋणधारक/बंधककर्ता बिक्री की तिथि से पूर्व कंपनी को देय राशि का पूर्ण भुगतान कर देते हैं, तो नीलामी रोके जाने योग्य है। **अधिक विवरण तथा प्रश्नों के लिए, प्राधिकृत अधिकारी, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड श्री नवदीप चावला; मोबाइल नंबर : 8949298906 से संपर्क करें।**

स्थान : राजस्थान, तिथि : 23–10–2026
प्राधिकृत अधिकारी, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

ESCORTS KUBOTA LIMITED

Kubota — Escorts Kubota Limited

CIN: L74899HR1944PLC039088

पंजीकृत ऑफिसः 15/5, मथुरा रोड, फरीदाबाद–121003, हरियाणा, फोनः 0129–2250222, ईमेलः corp.secretarial@escortskubota.com वेबसाइटः www.escortskubota.com;

भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डीमटेरियलाइजेशन के लिए विशेष विंडो

कंपनी की 27 फरवरी 2026, 27 अप्रैल 2026 और 25 जून 2026, 25 अगस्त 2026 की पिछली सूचनाओं के क्रम में और SEBI के 30 जनवरी 2026 के परिपत्र नंबर HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 (परिपत्र वेबलिंक sebi-gov-in पर उपलब्ध है) के अनुसार, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि 01 अप्रैल 2019 से पहले बेची/खरीदी गई भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डीमटेरियलाइजेशन की सुविधा के लिए 5 फरवरी 2026 से 4 फरवरी 2027 तक एक विशेष विंडो फिर से खोली गई है। यह विशेष विंडो उन हस्तांतरण अनुरोधों के लिए भी उपलब्ध होगी जो पहले प्रस्तुत किए गए थे और जिन्हें दस्तावेजों/प्रक्रिया में कमी या किसी अन्य कारण से अस्वीकृत/वापस/प्रक्रिया नहीं किया गया था। हालांकि, विवादित मामलों और 'इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड' (IEPF) में ट्रांसफर किए गए शेयरों पर इस विंडो के तहत प्रोसेसिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि हस्तांतरण के लिए जमा / पुनः जमा किए गए शेयर अनिवार्य रूप से केवल डीमैट मोड में ही हस्तांतरिती के खाते में जमा किए जाएंगे और हस्तांतरण के पंजीकरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक–इन के तहत रहेंगे। इस अवधि के दौरान, इन शेयरों को न तो ट्रांसफर किया जा सकेगा, न ही इन पर कोई लियन (lien) या प्लेज (pledge) लगाया जा सकेगा।

शेयरहोल्डर्स को सलाह दी जाती है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और जरूरी दस्तावेज कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('RTA'), Kfin Technologies Limited (यूनिटः Escorts Kubota Limited) के ऑफिस (पताः Selenium Tower B, Plot No 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032; Toll Free No. 1800 309 4001) में जमा करें या einward.ris@kfintech.com पर संपर्क करें।

कृते एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड
Sd/-
विक्की चौहान
कंपनी सचिव

स्थानः फरीदाबाद
दिनांकः 22 अक्टूबर, 2026

DhanlaxmiBank

धनलक्ष्मी बैंक लि.

सं. 10185 ए, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005

[नियम 8 (6) का प्रावधान देखें]

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, और जिसका भौतिक कब्जा धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड (सुरक्षित लेनदार) के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे श्रीमती स्मिता जयरामन और श्री जयरामन पी. से धनलक्ष्मी बैंक लि., सुरक्षित लेनदार को देय 30/09/2026 तक रू. 86,82,391.73/- (रुपये छियासी लाख बयासी हजार तीन सौ इक्यानबे और तिहत्तर पैसे मात्र) की बकाया राशि तथा भविष्य के ब्याज और खर्चों की वसूली के लिए "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर 18/11/2026 को बेचा जाएगा।

आरक्षित मूल्य एवं धरोहर राशि जमाः

मद सं. 1 संपत्ति के लिएः आरक्षित मूल्य रू. 51,76,000/- (रुपये इक्यावन लाख छिहत्तर हजार मात्र) होगा और धरोहर राशि जमा रू. 5,17,600/- (रुपये पांच लाख सत्रह हजार छह सौ मात्र) होगी।

मद सं. 2 संपत्ति के लिएः आरक्षित मूल्य ? 59,81,000/- (रुपये उनसठ लाख एकासी हजार मात्र) होगा और धरोहर राशि जमा रू. 5,98,100/- (रुपये पांच लाख अठान्बे हजार एक सौ मात्र) होगी।

विवरण के साथ संपत्ति का पताः

मद सं. 1 **संपत्तिः** अचल आवासीय फ्लैट सं. ई-12-ए, दूसरी मंजिल, छत के अधिकार के बिना, खसरा सं.10/20, ग्राम असालतपुर, जीवन पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059, जिसका कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट है, जो श्रीमती स्मिता जयरामन के नाम पर है।

मद सं. 2 **संपत्तिः** अचल आवासीय फ्लैट सं. ई-12-A, तीसरी मंजिल, छत के अधिकार के साथ, खसरा सं. 10/20, ग्राम असालतपुर, जीवन पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059, जिसका कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट है, जो श्रीमती स्मिता जयरामन के नाम पर है। (फ्लैट के अंदर रखे चल सामान जैसे फर्नीचर, बिजली के सामान, बर्तन आदि को छोड़कर) सीमाएंः पूर्वः गली, पश्चिमः सड़क 20 फीट, उत्तरः भूमि का हिस्सा, दक्षिणः प्लॉट नं. 11

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया धनलक्ष्मी बैंक की वेबसाइट पर दिए गए लिंक **www.dhan.bank.in** को देखें।

स्थानः नई दिल्ली — धनलक्ष्मी बैंक लि.
दिनांकः 21/10/2026 — अधिकृत अधिकारी

सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Sitaara

(पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, 216/सी–12, पुराना नंबर सी–12, प्लॉट नंबर 13–बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092– दिल्ली – भारत, फोन नंबर : 7698283008

1. प्राधिकृत अधिकारी : जुइली, संपर्क नंबर : 9076314003, ईमेल आईडी : juilee.bhambid@sitaara.in
2. नीलामी सेवा प्रदाता : सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, संपर्क व्यक्ति : बालाजी मन्नूर, मोबाइल नंबर : 7977701080

ई–नीलामी बिक्री सूचना

नियम 8(5), 8(6) तथा (7) के नियम 9(1) (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के साथ पढ़ें)

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) एवं गारंटीकर्ता(ओं) को सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से ज्ञात) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (प्रतिभूत ऋणदाता) के पास बंधक रखी गई नीचे वर्णित संपत्तियों का भौतिक कब्जा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के प्रावधानों के अंतर्गत पहले ही लिया जा चुका है तथा चूंकि प्रतिभूत ऋणदाता अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऋणधारक, सह–ऋणधारक(कों) तथा बंधककर्ता(ओं) से देय राशि (आगे के ब्याज, प्रभारों आदि के साथ) की वसूली के लिए नीचे वर्णित संपत्तियों को ई–नीलामी के लिए रखेगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अचल संपत्ति, जैसा कि नीचे वर्णित है, जो कि भौतिक कब्जे में है, को खरीदने के लिए ''जहाँ है जैसा है के आधार पर'', ''जो है जैसा है के आधार पर'' तथा ''जो कुछ भी वहाँ है के आधार पर'', एवं ''बिना किसी अधिकार के आधार पर'' प्रस्ताव/बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैं क्योंकि ऐसी बिक्री बिना किसी प्रकार की वारंटी तथा क्षतिपूर्ति के है। नीचे वर्णित संपत्तियों को वेबसाइट **https://www.bankeauctions.com** के माध्यम से ऑनलाइन ई–नीलामी के तरीके से बेचा जाएगा तथा इसे एसजीआरएल द्वारा स्वीकृत ऑनलाइन नीलामी सेवा प्रदाता ''सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड'' के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

निरीक्षण तिथि तथा समय : 21–11–2026 सायं 6:00 बजे के बीच

बोली/ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 23–11–2026 को सायं 5:00 बजे तक

ई–नीलामी की तिथि तथा समय : 24–11–2026 प्रातः 11:00 बजे से अप. 02:00 बजे तक (स्वचालित विस्तार समय 5 मिनट)

ऋणधारक(कों) / सह–ऋणधारक(कों) / बंधककर्ता(ओं) / गारंटीकर्ता(ओं) के नाम	बकाया राशि (रु.)	आरक्षित मूल्य (आरपी) / धरोहर राशि जमा (ईएमडी) (आरपी का 10%)	न्यूनतम वृद्धिशील बोली मूल्य
1. श्रीमती दिव्या भारती पत्नी श्री प्रदीप (ऋणधारक) 2. श्री राजेंद्र पुत्र श्री राम चंद्र (सह–ऋणधारक)	ऋण खाता सं.: H1CP000005021468 के अंतर्गत रु. 27,83,533.07 तिथि 03–07–2026 के अनुसार	Rs. 10,75,000/- Rs. 1,07,500/-	Rs. 10,000/-

संपत्ति का विवरण : पता : पृष्ठ संख्या 33, क्रम संख्या 99, कॉलम 6 बी, कोड संख्या 1048, खेत संख्या 468/1 में से, बाके करमपुर चौधरी, तहसील तथा जिला बरेली, उत्तर प्रदेश 243122, सीमाएं :– पूर्व : ओम प्रकाश का मकान, पश्चिम : गंगाराम का प्लॉट, उत्तर : कांति बाबू का मकान, दक्षिण : 12 फीट चौड़ी सड़क। बंधक रखी गई संपत्ति के प्लॉट का क्षेत्रफल 90 वर्ग गज अर्थात् 75.25 वर्ग मीटर है।

नियम तथा शर्तें :– 1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार, यहां किसी भी संपत्ति पर कोई प्रभार/भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पूर्व, प्रभारों, नीलामी के लिए रखी गई संपत्तियों के स्वामित्व/टाइटल तथा संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/दायित्वों के संबंध में स्वयं स्वतंत्र जांच कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन कंपनी की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है तथा इसे वैसा माना भी नहीं जाएगा। संपत्ति को सभी मौजूदा तथा भविष्य के प्रभारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वे कंपनी को ज्ञात हों या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/दायित्वों/बकाया वैधानिक देनदारियों/करों आदि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 2. बोली जमा करने से पहले संपत्ति तथा विशिष्टता का निरीक्षण करना तथा स्वयं संतुष्ट होना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। नीलामी के लिए रखी गई संपत्तियों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति विवरण के सामने उल्लेखित स्थलों पर करने की अनुमति दी जाएगी। 3. इस ई–नीलामी के सभी इच्छुक प्रतिभागियों को बोली/निविदा फॉर्म भरना होगा तथा इसे अंतिम तिथि या उससे पहले उपरोक्त आरक्षित मूल्य के 10: की ईएमडी के साथ जमा करना होगा। सभी प्रतिभागियों/बोलीदाताओं को ऑनलाइन नीलामी सेवा प्रदाता ''सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड'' के वेब पोर्टल पर अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है तथा उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा जिसके पक्ष में उपर्युक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति की बिक्री संपन्न होगी। किसी अन्य प्रारूप में जमा की गई बोलियां/अपूर्ण बोलियां निरस्त की जा सकती हैं। विवरणों के लिए कृपया मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उपरोक्त व्यक्तियों से **https://www.bankeauctions.com** पर संपर्क करें; संपर्क व्यक्ति श्री बालाजी मन्नूर, मोबाइल नंबर 7977701080, सहायता नंबर 07291981124/25/26, ईमेल आईडी : **support@bankeauctions.com; mannur.govindarajan@c1india.com**। 4. ऑनलाइन बोलीदाता एतद्द्वारा सहमत होता है कि एक बार जब वह प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष औपचारिक रूप से एक योग्य बोली पंजीकृत कर लेता है, तो उसे इस दस्तावेज को जमा करके, ई–नीलामी बोली प्लेटफॉर्म के माध्यम से भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त करनी होगी। नीलामी सेवा प्रदाता से अपना लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना निविदाकर्ता/ऑनलाइन बोलीदाता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। बोली फॉर्मों के साथ निम्नलिखित केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न होंगी अर्थात् (प) पैन कार्ड (पप) आधार कार्ड/पासपोर्ट (पपप) वर्तमान पते का प्रमाण (पअ) वैध ईमेल आईडी (अ) संपर्क नंबर (मोबाइल/लैंडलाइन) (अप) नीलामी में भाग लेने के लिए बोर्ड का प्रस्ताव (कंपनी के लिए) आदि। उक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां ऊपर बताई गई ईमेल आईडी पर जमा की जाएंगी। विवरणों के लिए कृपया मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उपरोक्त व्यक्तियों से **https://www.bankeauctions.com** पर संपर्क करें; संपर्क व्यक्ति श्री बालाजी मन्नार, मोबाइल नंबर 7977701080, सहायता नंबर 07291981124/25/26, ईमेल आईडी : **support@bankeauctions.com; mannur.govindarajan@c1india.com**। 5. धरोहर राशि (ईएमडी) आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर (जिसकी रसीद बोली के साथ संलग्न की जाएगी) के माध्यम से नवीनतम 23–11–2026 को सायं 5:00 बजे तक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित खाते में जमा की जाएगी : खाताधारक का नाम : सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, खाता संख्या : 57500001848343, आईएफएससी कोड : **HDFC0000060** या सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में आहरित डीडी / पे ऑर्डर के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी को संबोधित करते हुए : प्रथम तल, 216/सी–12, पुराना नंबर सी–12, प्लॉट नंबर 13–बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110092। 6. जो बोली फॉर्म भरे नहीं गए हैं या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त ईएमडी को अमान्य माना जाएगा तथा तदनुसार निरस्त कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि इस ई–नीलामी का सफल बोलीदाता, या तो सरफेसी नियम, 2002 के नियम 9(3) के शर्तों के अनुसार प्रस्ताव/बोलियों की स्वीकृति के तुरंत बाद या उसके एक दिन के भीतर बिक्री मूल्य/बोली मूल्य का 25: (ईएमडी सहित) भुगतान करने में असमर्थ रहता है, या खुद को सफल बोलीदाता घोषित किए जाने के बाद नीलामी से हटना चाहता है, तो यह ईएमडी प्रतिभूत ऋणदाता/एसजीआरएल के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। 7. बिक्री मूल्य/बोली मूल्य का शेष 75: वित्तीय संस्थान / सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से ज्ञात) द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर या प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर तथा उनके द्वारा लिखित में सहमत बढ़ाई गई अवधि के भीतर भुगतान करना होगा, ऐसा न करने पर क्रेता/बोलीदाता द्वारा पहले ही भुगतान/जमा की गई राशि संपत्ति या उसके किसी भी भाग के सभी दावों के साथ जब्त कर ली जाएगी जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है। बिक्री मूल्य के भुगतान के समय तथा संबंधित समय–सीमा के संबंध में अधिक विवरण के लिए कृपया सरफेसी नियमावली 2002 के नियम 9(3), 9(4) तथा 9(5) का संदर्भ लें। 8. किसी भी परिस्थिति में संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। संपत्ति उच्चतम बोलीदाता को बेची जाएगी, जो प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा बोली की स्वीकृति के अधीन होगी। 9. बिक्री के विस्तृत नियमों तथा शर्तों के लिए, बोलियां जमा करने तथा ई–नीलामी कार्यवाहियों में भाग लेने से पूर्व कृपया हमारी वेबसाइट **www.sgrlimited.in** तथा **https://www.bankeauctions.com** देखें। 10. ऋणधारक / गारंटीकर्ता इसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत सूचना मान सकते हैं तथा उन्हें एतद्द्वारा इस सूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर उपर्युक्त अनुसार पूर्ण दायित्व (अतिरिक्त ब्याज तथा आज की तिथि तक के आकस्मिक व्यय, लागत सहित) का निपटान करने का एक अंतिम अवसर दिया जाता है, ऐसा न करने पर ऊपर तथा नीलामी सेवा प्रदाता के ऑनलाइन पोर्टल में उल्लेखित नियमों तथा शर्तों के अनुसार परिसंपत्तियों को बेच दिया जाएगा। अधिक विवरणों के लिए, ऊपर उल्लेखित कार्यालय के पते पर प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

तिथि : 23–10–2026
स्थान : उत्तर प्रदेश

CSB Bank

Trusted Heritage Smart Future

गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

विशिष्ट उधारकर्ता/ओं और इच्छुक बोलीदाताओं को, सामान्य रूप से, सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा जारी भुगतान नोटिस और रिकॉल/नीलामी नोटिस के बावजूद उधारकर्ताओं द्वारा बैंकों को देय राशि का भुगतान न करने के कारण, उनके द्वारा लिए गए ऋण के लिए संबंधित उधारकर्ताओं द्वारा बैंक सुरक्षा के साथ गिरवी रखे गए सोने के आभूषण को दिनांक **02 नवम्बर 2026 को सुबह 10.30 बजे** ''जैसा है जहां है'' और ''गैर–सहारे'' के आधार पर सार्वजनिक नीलामी में बेचे जाएंगे। बैंक के नोटिस बोर्ड पर इसके प्रकाशन के पश्चात बैंक के विवेकानुसार नीलामी को किसी अन्य बाद की तिथि तक स्थगित किया जा सकता है। ऋणकर्ताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि सार्वजनिक नीलामी सफल नहीं होती है और उसके पश्चात कोई और शेष राशि वसूल की जानी है, तो ऋणकर्ता/ऋणकर्ताओं के विरुद्ध बैंक को देय शेष राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मृतक ऋणकर्ता के मामले में, सभी शर्तें कानूनी उत्तराधिकारियों पर लागू होंगी।

क्र. सं.	नीलामी केन्द्र सीएसबी शाखा	खाते का नाम	ग्राहक आईडी	खाते की सं	दिनांक 21.10.2026 तक बकाया राशि	वजन (ग्राम)
1	सोलन	अनूप चंद	10255159	001	3,24,434.91	31.58
2	सोलन	आशा आशा	04945658	001	2,45,229.72	21.91
3	सोलन	पंकज कुमार	04905660	002	1,33,813.21	12.32
4	सोलन	सुरेंद्र कुमार	04088209	001	62,854.31	11.70
5	सोलन	सुरजीत कुमार	05049919	001	46,579.90	9.00

अधिक जानकारी/खाता जानकारी के लिए उधारकर्ता/इच्छुक बोलीदाता संबंधित शाखाओं से, और नीलामी में भाग लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश
23.10.2026
हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी,
सीएसबी बैंक

CSL Finance Limited

पंजीकृत कार्यालय : कार्यालय सं. 301–302, 8/19, तृतीय तल, डब्ल्यू.ई.ए., पूसा लेन, करोल बाग, नई दिल्ली–110005, **निगमित कार्यालय :** 714–717, 7वाँ तल, टॉवर बी, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर, सेक्टर–16, नोएडा, 201301, उत्तर प्रदेश,
दूरभाष :+91 120 4290650/52/53/54/55,
ईमेल : info@cslfinance.in, Legal@cslfinance.in, वेबसाइट : www.cslfinance.in

माँग सूचना

जैसा कि सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड (सीएसएल) से यहाँ नीचे वर्णित ऋणधारक / गारंटरों / बंधककर्ताओं ने वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। हमारा कहना है कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उपरांत भी ऋणधारक / गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) (समस्त एकल रूप में तथा एक साथ ''दायित्वधारकों'' के रूप में संदर्भित) ने नियत तिथियों के अनुसार ब्याज तथा मूलधन राशियों के प्रतिभुगतान में विभिन्न चूकें की हैं। और इसीलिए, खाता को सीएसएल की बहियों में यहां नीचे अंकित संबंधित तिथियों पर अनिष्पादनकारी परिसंपत्ति के रुप में वर्गीकृत कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप, तदुपरांत सीएसएल के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, यहां इसमें नीचे अंकित संबंधित तिथियों पर सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत माँग सूचना निर्गत की थी, जिसमें दायित्वधारकों तथा / अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) को सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर, भुगतान की तिथि तक आकस्मिक व्ययों, लागत, शुल्कों, इत्यादि के साथ सूचनाओं में अंकित राशि पर संविदागत दर पर आगे के ब्याज के साथ सूचनाओं में अंकित राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

दायित्वधारकों को एतद्द्वारा उस सूचना के बारे में इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

दायित्वधारकों / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	कुल बकाया देयराशियाँ	आयोजन
LAN : SMEAGR010011862 उधारकर्ता : सोनवीर सिंह सह–उधारकर्ता : बाल मुकुंद सह–उधारकर्ता / प्रतिभूति प्रदाता : करिश्मा सह–उधारकर्ता / प्रतिभूति प्रदाता : करिश्मा सह–उधारकर्ता : महेश सह–उधारकर्ता : सत्तो सभी का पता : कुकथला, उत्तर प्रदेश–283105	रु. 7,07,054/– (रुपये सात लाख सात हजार चौव्वन मात्र) 22–10–2026 के अनुसार, साथ में भावी ब्याज, दांडिक ब्याज, लागतें तथा शुल्क।	ऋण अनुबंध की तिथि : 30/06/2024 एनपीए की तिथि 05/09/2026 माँग सूचना की तिथि : 22/10/2026

अचल / बंधककृत संपत्ति(यों) का विवरण : कुकथला, तहसील किरावली तथा जिला आगरा, उत्तर प्रदेश स्थित गाटा संख्या 1012के का भाग, कुल क्षेत्रफल 126.34 वर्ग मीटर में निर्मित मकान रूपी अचल संपत्ति का संपूर्ण टुकड़ा तथा भूखंड। इसके साथ उक्त भूखंड में 100: अविभाजित, अविभाज्य तथा अनिर्वहनीय स्वामित्व अधिकार/अंश, साथ में सभी अधिकार, सुखाधिकार, विशेषाधिकार, संलग्रक जो भी इससे संबंधित हों या जिनका उपयोग किया जा रहा हो या इसके अधीन हों, साथ में फिक्सचर, फिटिंग्स, बिजली व स्वच्छता फिटिंग्स तथा आवश्यक सुविधाएं।

निम्नानुसार संपत्ति की सीमाएँ तथा आयाम इस प्रकार हैं : स्वामित्व प्रलेखों के अनुसार :– उत्तर : मीणा राम तथा पप्पू का अन्य मकान, दक्षिण : गायत्री का भूखंड, पूर्व : 8 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम : नन्हे चौधरी का मकान। वास्तविक / तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार :– उत्तररू : मेवा राम का मकान, दक्षिण : आशा का भूखंड, पूर्व : 8 फीट चौड़ी सड़क तथा सदर निकास, पश्चिम : नन्हे चौधरी का भूखंड।

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, एतद्द्वारा दायित्वधारकों और / या उनके विधिक उत्तराधिकारियों / विधिक प्रतिनिधियों को यह सूचित किया जाता है कि यदि उक्त दायित्वधारक, सीएसएल को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीएसएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों के विरुद्ध पूर्णतः उक्त दायित्वधारकों / विधिक उत्तराधिकारी / विधिक प्रतिनिधि के जोखिम पर लागत और परिणामों के संबंध में कार्यवाही करेगा।

उक्त दायित्वधारकों / विधिक उत्तराधिकारी/ विधिक प्रतिनिधि को उक्त अधिनियम के तहत पूर्वोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों को, चाहे बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा सीएसएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना हस्तांतरित करने की मनाही है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करता है, उसे अधिनियम के अंतर्गत कारावास और/या जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।

दिनांक : 22–10–2026 — हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान : आगरा (उत्तर प्रदेश) — सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड

वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड

Virtual Global Education Ltd.

सीआईएन : L67120DL1993PLC052256
पंजीकृत कार्यालय : 1108, 11वीं मंजिल, आरजी ट्रेड टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034
ई–मेल : cs@virtualeducation.co.in
वेबसाइट : virtualeducation.co.in, दूरभाष : 011–41522143

पोस्टल बैलेट सूचना

सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 108 के साथ पठित धारा 110 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के प्रावधानों के अंतर्गत, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (''नियमावली'') के नियम 20 एवं 22 के साथ पठित, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 (''सूचीबद्धता विनियमावली'') के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा सामान्य बैठकों पर जारी सचिवालीय मानक (''एसएस''), जिनमें से प्रत्येक यथा संशोधित है, के अंतर्गत, तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा सामान्य बैठकें आयोजित करने/ई–मतदान के माध्यम से पोस्टल बैलेट प्रक्रिया संचालित करने हेतु निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 तिथि 8 अप्रैल 2020, 17/2020 तिथि 13 अप्रैल 2020, 22/2020 तिथि 15 जून 2020, 33/2020 तिथि 28 सितंबर 2020, 39/2020 तिथि 31 दिसंबर 2020, 10/2021 तिथि 23 जून 2021, 20/2021 तिथि 8 दिसंबर 2021, 3/2022 तिथि 5 मई 2022, 10/2022 तिथि 28 दिसंबर 2022 तथा 09/2023 तिथि 25 सितंबर 2023 (इन्हें आगे सामूहिक रूप से ''एमसीए परिपत्र'' कहा गया है) तथा जारी किए गए अन्य लागू परिपत्रों तथा अधिसूचनाओं (उस समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनर्मूल्यांकन सहित तथा समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार, कंपनी ने मंगलवार, 13 जनवरी 2026 को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को पोस्टल बैलेट सूचना भेजी है, जिनके नाम शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 अर्थात् कट–ऑफ तिथि को डिपॉजिटरी से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज थे तथा जिन्होंने अपना ई–मेल पता कंपनी के पास (भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में) तथा/अथवा अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास (डीमटेरियलाइज्ड रूप में धारित शेयरों के संबंध में) पंजीकृत कराया है तथा संबंधित डिपॉजिटरी द्वारा कंपनी को उपलब्ध कराया गया है। एमसीए परिपत्रों के माध्यम से सदस्यों को पोस्टल बैलेट सूचना की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकताओं से छूट दे दी गई है। एमसीए परिपत्रों की शर्तों के अनुसार, सदस्यों की सहमति या असहमति का संचार केवल रिमोट ई–मतदान प्रणाली के माध्यम से होगा।

कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (''रिमोट ई–मतदान'') का उपयोग करके अपने सदस्यों को दूरस्थ रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है।

पोस्टल बैलेट सूचना के माध्यम से निपटाए जाने वाले व्यवसाय से संबंधित तथा उसमें संदर्भित दस्तावेज, सदस्यों द्वारा **cs@virtualeducation@gmail.com** पर ई–मेल भेजकर कंपनी से अनुरोध करने पर निरीक्षण हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे।

एमसीए परिपत्रों की शर्तों के अनुसार, उन सदस्यों द्वारा रिमोट ई–मतदान प्रक्रिया में भागीदारी को सक्षम करने के लिए, जिन्होंने अभी तक अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है तथा जिन्हें भौतिक पोस्टल बैलेट सूचना नहीं भेजी जा रही है, कंपनी ने उपरोक्त परिपत्रों की शर्तों के अनुसार ई–मेल पते के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ व्यवस्था की है।

भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले तथा जिन्होंने कंपनी के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराया है, उन सदस्यों से अनुरोध है कि वे **cs@virtualeducation@gmail.com** पर अथवा रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को **admin@skylinerta.com** पर नाम, पता, फोलियो संख्या के विवरण के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति तथा सदस्यों के पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करके कंपनी को लिखकर इसे पंजीकृत/अद्यतन करें।

डीमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ई–मेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत/अद्यतन करें।

कट–ऑफ तिथि को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए रखे गए सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में (इलेक्ट्रॉनिक शेयरहोल्डिंग के मामले में) दर्ज नाम वाला व्यक्ति ही केवल रिमोट ई–मतदान द्वारा वोट डालने का पात्र होगा। सदस्यों के मतदान अधिकार कट–ऑफ तिथि को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। रिमोट ई–मतदान की अवधि शुक्रवार 23 अक्टूबर 2026 (प्रातः 09:00 बजे भारतीय मानक समय) से प्रारंभ होगी तथा शनिवार, 21 नवंबर 2026 (सायं 05:00 बजे भारतीय मानक समय) को समाप्त होगी। तत्पश्चात एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–मतदान मॉड्यूल को मतदान हेतु निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा संकल्पों पर वोट डाल दिए जाने के बाद, बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।

एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई–मतदान सुविधा **www.evoting.nsdl.com** लिंक पर सदस्य के लिए उपलब्ध है, जो सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाएगी।

रिमोट ई–मतदान तथा ई–मेल पतों के पंजीकरण से संबंधित विस्तृत निर्देश तथा जानकारी सदस्यों को भेजी गई पोस्टल बैलेट सूचना में तय की गई है तथा कंपनी की वेबसाइट अर्थात् **virtualeducation.co.in** पर उपलब्ध है।

निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से रिमोट ई–मतदान प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल बैलेट का संचालन करने हेतु मैसर्स कृष्ण राकेश एंड कंपनी (एफआरएन 009088एन) के भागीदार श्री शिव निषाद (सदस्यता संख्या 560019), अभ्यासरत चार्टर्ड एकाउंटेंट को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

यदि संकल्प स्वीकृत हो जाते हैं, तो उन्हें ई–मतदान की अंतिम तिथि अर्थात् 21 नवंबर 2026 को पारित माना जाएगा। पोस्टल बैलेट का परिणाम कंपनी के अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सोमवार, 23 नवंबर 2026 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी को सूचित किया जाएगा, तथा कंपनी की वेबसाइट अर्थात् **virtualeducation.co.in** पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात् **www.evoting.nsdl.com** पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्यगण **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा रिमोट ई–मतदान उपयोगकर्ता नियमावली का संदर्भ ले सकते हैं या 022–488 7000 तथा 022–2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं या **evoting@nsdl.com** पर एक अनुरोध भेज सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड
हस्ता./–
रेणु मलिक
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

तिथि : 21–10–2026
स्थान : दिल्ली